



स्पीड पोस्ट

पृष्ठ 2 पर जारी.....

7. फलों की तुड़ाई, भण्डारण रख-रखाव, परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान द्वारा किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जावेगी।
8. किसी भी प्राकृतिक आपदा (पाला, वर्षा, आंधी-तुफान, पशुओं एवं पक्षीयों से नुकसान इत्यादि) एवं अन्य किसी भी कारण से फलों को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा।
9. तुड़ाई अनुबंध के कार्य सम्पादन हेतु लगाए जानेवाले श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान एवं उनके प्रति सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तर दायी नहीं होगा।
10. सफल बोलीदाता की बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) तुड़ाई का कार्य पूर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) जारी करने पर ही किया जायेगा। इस हेतु ठेकेदार को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
11. वर्णित कार्य के अनुबंध पर यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे संस्थान के मुख्यालय भा.कृ.अनु.परि., नई दिल्ली द्वारा नियुक्त पंच (Arbitrator) को सुपुर्द कर दिया जावेगा। पंच के निर्णय को मानने के लिए दोनों पक्ष बाध्य होंगे।
12. संस्थान को बिना कोई कारण बताए अनुबंध को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार होगा।

यह संस्थान के सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया गया है।

भवदीय,

(कुलदीप पान्डे)

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी फार्म, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
2. फार्म मैनेजर, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
3. वित्त एवं लेखा अधिकारी, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
4. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
5. प्रभारी सुरक्षा, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
6. व्यक्तिगत सहायक (निदेशक), भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
7. प्रभारी, ए.के.एम.यु., भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर-संस्थान की वेब साईट व CPP-NIC Portal पर अपलोड करने हेतु।
8. सूचना पट्ट, कार्यालय/प्रक्षेत्र भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी